<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।</u>

CNR No.–UPLP 1200 0956 2026
प्रकीर्ण फौजदारी सं०–76/2026
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–102/2026
थाना–उचौलिया, जिला–खीरी।

फूलवी उम्र लगभग 33 वर्ष पत्नी कय्यूम निवासी ग्राम कसरावल थाना उचौलिया जिला लखीमपुर खीरी।

... ...प्रार्थिनी।

बनाम

आजमीन उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र वाकिर निवासी ग्राम कलवारी थाना उचौलिया जिला लखीमपुर खीरी।

... ...विपक्षी।

<u>दिनांकः 04.06.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आज प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 20.05.2026 अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी को जरिए विद्वान अधिवक्ता पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी फूलवी पत्नी कय्यूम निवासी ग्राम कसरावल थाना उचौलिया जिला खीरी की निवासिनी है। प्रार्थिनी के पड़ोस गांव कलवारी का रहने वाला आजमीन पुत्र वाकिर जो कि भट्ठे पर ठेकेदारी का काम करता है जिसमें प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के घर वाले तथा गांव के अन्य तमाम लोग आजमीन के साथ भट्ठे पर काम करने जाते हैं। उपरोक्त ठेकेदार आजमीन, प्रार्थिनी पर गलत नियत रखता है। घटना दिनांक 13.05.2026 समय रात करीब 10 बजे की है कि प्रार्थिनी अपने घर पर सो रही थी, प्रार्थिनी के बच्चे घर पर सो रहे थे तभी दरवाजे पर आजमीन ने आवाज लगाई तो प्रार्थिनी ने दरवाजा खोला तो आजमीन, प्रार्थिनी को धक्का देकर घर में जबरिया घुस आया तथा प्रार्थिनी को दबोच लिया तथा जमीन पर पटककर गलत काम करने की कोशिश करने लगा, घटना के समय प्रार्थिनी का पति घर पर मौजूद नहीं था, वह कश्मीर मजदूरी करने गया था। प्रार्थिनी को चिल्लाने पर प्रार्थिनी के बच्चे जग गये तब उपरोक्त आजमीन जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया और धमकी दी कि आज तो साली बच गयी अगली बार गलत काम करके ही रहूंगा। उपरोक्त आजमीन को प्रार्थिनी के घर से भागते हुए गांव के ही चन्दा बेगम व नफीस ने देखा। प्रार्थिनी उक्त घटना से काफी भयभीत है। प्रार्थिनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना उचौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थिनी ने रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। विवश होकर प्रार्थिनी न्यायालय की शरण में आयी है। अतः प्रभारी निरीक्षक थाना उचौलिया को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाए।

प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में प्रार्थिनी द्वारा शपथ पत्र, प्रभारी निरीक्षक थाना उचौलिया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित रजिस्टर्ड डाक रसीदें प्रस्तुत की गयी हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना उचौलिया की आख्या दिनांकित 03.06.2026 के अनुसार उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को वर्णित किया गया है, उन समस्त तथ्यों से प्रार्थिनी भली–भांति परिचित है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की जांच न्यायालय द्वारा स्वयं की जाये। आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त मामले की धारा 225 बी०एन०एस०एस० के तहत विवेचना कराई जा सकती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयन सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (57) ए०सी०सी० 739** एवं **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 2001 (43) ए०सी०सी० पेज 50** में दिए गए दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) बी०एन०एस०एस०, परिवाद के रुप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली दिनांक–17.07.2026 को वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

दिनांकः 04.06.2026

(रजत प्रकाश सोन)
अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी, खीरी।